

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली, मुख्या0 बैढन(म.प्र.)**  
**:-:खुली निविदा आमंत्रण सूचना:-**

जिला न्यायिक स्थापना सिंगरौली, मुख्यालय बैढन के न्यायालयों के उपयोग हेतु 10 नग इनवर्टर मय बैटरी के क्रय किये जाने बाबत सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/संस्था/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद लिफाफे में पूर्ण जानकारी सहित जिला एवं सत्र न्यायालय सिंगरौली, मुख्यालय बैढन में दिनांक 20.11.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक आवक-जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से इनवर्टर एवं बैटरी प्रदाय हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली, मुख्यालय बैढन के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) जिला न्यायालय सिंगरौली, मुख्यालय बैढन की वेबसाइट [www.districts.ecourts.gov.in/singrouali](http://www.districts.ecourts.gov.in/singrouali) पर भी उपलब्ध है, जहां से सामग्री का पूर्ण विवरण एवं शर्तें डाउनलोड कर अवलोकन कर सकते हैं।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
१८ सिंगरौली, मुख्या0 बैढन(म.प्र.)

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली, मुख्यालय बैठन (म.प्र.)**  
**—:निविदा विज्ञापन:—**


न्यायिक जिला स्थापना सिंगरौली, मुख्यालय बैठन के न्यायालयों के उपयोग हेतु नीचे वर्णित स्पेशिफिकेशन के 10 नग इनवर्टर मय बैटरी के क्रय किये जाने हेतु विक्रयकर्ता संस्थानों से दरें निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है।

स.क्र.	सामग्री का नाम	नग	स्पेशिफिकेशन
1	इनवर्टर	10	1200 व्हाट. माईक्रोटेक, ल्यूमिनस, इस्टमेन आदि
2	बैटरी	10	150 ए.एच. टॉल टेब्यूलर बैटरी/एक्साइड, माईक्रोटेक, ल्यूमिनस, टाटा ग्रीन आदि

**—:निविदा शर्तें:—**

1. सीलबंद निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली के नाम से दिनांक 20.11.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक बंद लिफाफों में पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। उक्त निविदा दिनांक 20.11.2023 को सांय 05:00 बजे जिला न्यायालय में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
2. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उक्त सामग्री न्यायालय तक पहुंचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
5. निविदा में इनवर्टर एवं बैटरी किस कम्पनी द्वारा निर्मित है तथा इनवर्टर एवं बैटरी के संबंध में सम्पूर्ण स्पेशिफिकेशन, गारंटी/वारंटी कार्ड सहित (कम्पनी का नाम आदि की जानकारी) अंकित करना अनिवार्य है।
6. निविदा पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।
7. सामग्री में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ौत्तरी की जा सकती है।
8. निविदाकर्ता द्वारा सामग्री स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।
9. प्रदाय की सामग्री निर्धारित मापदण्ड एवं विवरण की न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में सामग्री निविदाकर्ता को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा निर्धारित विवरण अनुसार सामग्री प्रदाय करनी होगी।
10. निविदा से संबंधित शर्त एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) जिला न्यायालय सिंगरौली की बेवसाइट [www.districts.ecourts.gov.in/singrualali](http://www.districts.ecourts.gov.in/singrualali) से डाउनलोड की जा सकती है।

11. कय आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय करना आवश्यक होगा।
12. निविदाकर्ता, वाणिज्यकर/जी.एस.टी. पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

  
वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
५८ सिंगरौली, मुख्या० वैढन(म.प्र.)